


२२-११-२) पत्रावली पेश दुही वकील पार्थी उपस्थित।

चूंकि मूल वाद में दिनांक २२-१-२) को  
निर्णय प्रारित किया जा चुका है और  
उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं है। अतः पार्थी का पार्थना-पत्र खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

